रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 285] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 1974/कार्तिक 17, 1896
No. 285] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 1974/KARTIKA 17, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library 21 1974

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 1974

G.S.R. 459(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby frames the following Scheme in respect of Local Authority employees, namely—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Scheme may be called the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Local Authority Employees) Scheme, 1974.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 6th day of July, 1974.

2. **Definitions.**—In this Scheme, unless the context otherwise requires:—

(a) 'Act' means the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974);

(b) 'bank' means—

(i) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);

(ii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);

(iii) a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer) Undertakings Act, 1970 (5 of 1970);

(iv) any other bank, being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(c) 'deduction' means the amount deducted under section 6 from the emoluments of an employee;

(d) 'deposit office' means an office specified in column (2) of the First Schedule;

(e) 'employee' means an employee of a local authority and includes an employee of the Central Government or of any State Government who is on deputation to a local authority;

(f) 'Form' means a form set out in the Second Schedule;

(g) 'ledger account', in relation to an employee, means the account maintained in Form VI;

(h) 'nominated authority' means an authority notified in relation to employees of a local authority situated in a State or a Union territory, by the Government of that State or the Administrator of that Union territory;

(i) 'paragraph' means a paragraph of this Scheme and 'sub-paragraph' means a sub-paragraph of the paragraph in which it occurs;

(j) 'schedule' means a schedule appended to this Scheme;

(k) 'section' means a section of the Act;

(l) 'specified authority' means an employer as defined in sub-clause (iii) of clause (h) of section 2, and includes, in relation to employees employed by or through a contractor under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, (37 of 1970), the employer who engages such contractor.

3. **Allotment of code numbers.**—The nominated authority shall allot a code number to each specified authority under its jurisdiction and intimate the same to the specified authority.

4. **Manner of deductions for compulsory deposit.**—Every deduction shall be rounded off in the manner specified in section 11:

Provided that where deductions are made at a time for two or more wage periods, the deduction on account of each such period shall be rounded off.

5. **Remittance of deductions from employees.**—(1) The specified authority shall, within fifteen days of the close of every month remit, in the manner hereinafter specified, the total amount of deductions from the emoluments disbursed for the month (including deductions in respect of employees who draw their own emoluments).

(2) Every remittance in respect of each of the Additional Wages Deposit Account and the Additional Dearness Allowance Deposit Account shall be made by a separate cheque or demand draft which shall be:

(a) drawn on a bank situated at the same station as the deposit office is situated;

(b) marked 'account payee' and made out in favour of the nominated authority with the suffix 'AE(CD) Wages Account' or 'AE(CD) Dearness Allowance Account', as the case may be;

(c) tendered, or sent by registered post, to the deposit office together with a challan in duplicate in Form 'I' or in Form 'II', as may be appropriate.

(3) Where any remittance is by a demand draft, the bank issuing the draft shall issue to the specified authority a certificate of payment in Form 'III'.

(4) Where any remittance is by a cheque, the deposit office shall issue to the specified authority a receipt in Form 'IV'.

(5) The specified authority shall within five days of tendering, or sending by registered post, a cheque or demand draft, send to the nominated authority, a statement in Form 'V'.

(6) The deposit office shall send to the nominated authority the duplicate of Form I or of Form II referred to in clause (c) of sub-paragraph (2) duly receipted.

(7) In the case of employees employed by or through a contractor, he shall furnish such information as may be required by the specified authority to enable such authority to comply with the provisions of this Scheme.

6. **Ledger account.**—A separate ledger account, in relation to Additional Wages Deposit Account and Additional Dearness Allowance Deposit Account in the name of every employee, shall be opened and maintained by the specified authority in Form 'VI' or as near thereto as may be.

7. **Nomination.**—(1) An employee may nominate in Form 'VII' or as near thereto as may be, one or more persons who shall be entitled to receive the amount standing to his credit in the ledger account together with the interest thereon, in the event of his death before the last annual instalment has become payable or, having become payable, has not been paid.

(2) Where the amount together with interest referred to in sub-paragraph (1) is payable to two or more nominees and either or any of them dies before such payment is made, the amount shall be paid to the surviving nominee or nominees.

(3) A nomination made by the employee may be cancelled or changed by a fresh nomination in Form 'VIII' or as near thereto as may be.

(4) Every nomination and every cancellation thereof or change thereto, shall be effective from the date of its receipt by the specified authority and shall be noted in the ledger account.

(5) If the nominee is a minor, the employee may appoint any person, to receive on behalf of such minor until such minor attains the age of majority the amount due in the event of death of the employee.

(6) Where an employee has not made any nomination, the amounts standing to his credit in the ledger account, including interest thereon, shall, in the event of his death, be payable:

(a) to all members of the family in equal shares:

Provided that the widow or widows, the child or children of the deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the employee;

(b) if there is no family, to any person who produces a probate or letters of administration or a succession certificate issued under Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925), entitling the holder thereof to receive such payment:

Provided that if the total amount involved does not exceed two thousand and five hundred rupees, the specified authority may waive the requirement of production of such probate or letters of administration or succession certificate and pay the amount to the person appearing to it to be entitled to receive such amount.

Explanation.—(a) In this sub-paragraph, 'family' in relation to an employee, means:

(i) in the case of a male employee, his wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents and the widow and children of his predeceased son, if any;

(ii) in the case of a female employee, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents and the widow and children of her predeceased son, if any.

(b) Where the personal law of an employee permits the adoption by him of a child, any child lawfully adopted by him shall be deemed to be included in his family and where a child of an employee has been adopted by another person and such adoption is, under the personal law of the person making such adoption, lawful, such child shall be deemed to be excluded from the family of the employee.

8. **Interest.**—Every deduction shall earn simple interest from the first day of the month in which such deduction is remitted to the nominated authority:

Provided that if the bank deposit rate is changed after the first day of a month, the revised rate of interest shall take effect from the first day of the succeeding month:

Provided further that no interest shall accrue in the month in respect of any deductions relating to—

(a) additional wages and additional dearness allowance for any period of the same month; or

(b) additional wages and additional dearness allowance in consequence of any wage revision or otherwise, including arrears paid to an employee after the tenth day of that month:

Provided also that no interest shall accrue on any amount from the month in which it has become due for repayment and has been tendered to the employee or his nominee, as the case may be, and such employee or nominee has failed for any reason to receive such amount.

9. **Maintenance of account by nominated authority.**—(1) The nominated authority shall, in relation to a specified authority, maintain an account in form 'IX' separately for Additional Wages Deposit Account and Additional Dearness Allowance Deposit Account.

(2) (a) The nominated authority shall verify at the end of every year whether the balances and the interest indicated in the account maintained in Form 'IX', tally with the annual abstract of ledger account in Form 'XIV' furnished by the specified authority under sub-paragraph (3) of paragraph 12.

(b) If the nominated authority notices any inconsistency, it shall, in consultation with the specified authority, remove such inconsistency.

10. **Repayments.**—(1) The specified authority shall assess, separately for additional wages and additional dearness allowance, the amounts required for the purpose of making repayments under sub-section (2) of section 9 and make an application to the nominated authority in Form 'X' before the last day of June each year.

(2) The nominated authority shall:

(a) with reference to the account maintained in Form 'IX', arrive at the total amount repayable together with interest payable by the specified authority; and

(b) make available to the specified authority the amount so arrived at, but not exceeding the amount asked for under sub-paragraph (1).

(3) The specified authority shall disburse the amounts repayable to the employee within ten days of the receipt of the same from the nominated authority and furnish to the nominated authority within three days of disbursement particulars thereof in Form 'XI'.

(4) Where, for any reason, the whole or any part of the amount made available by the nominated authority under sub-paragraph (2) cannot be disbursed within ten days of its receipt, the specified authority shall refund the undisbursed amount as it were a remittance of deductions, following the procedure set out in sub-paragraph (2) of paragraph 5 and every challan, in Form I or in Form II according as the undisbursed amount relates to additional wages or additionl dearness allowance, shall be superscribed with the words "Refund of undisbursed amount" in red ink.

(5) Where any repayment is to be made under the third proviso to sub-section (1) of section 9, the specified authority shall make an application in Form 'X'—

(a) ten days in advance, before an employee retires on superannuation; and

(b) in any other case, immediately on the occurrence of an event necessitating repayment;

and in making repayments, the specified authority and the nominated authority shall follow the procedure specified in sub-paragraphs (1) to (4).

11. **Adjustment of accounts on the transfer of employees.**—(1) On the transfer of an employee from the jurisdiction of one specified authority to another, whether within the jurisdiction of the same nominated authority or otherwise, the specified authority from whose jurisdiction the employee is transferred (hereinafter referred to as the transferor specified authority) shall—

(a) complete the ledger account by posting therein all the deductions, including those made during the month of transfer, and the interest earned by the deductions upto the end of the month preceding that of transfer;

(b) make a suitable note of the transfer in the ledger account and close it to a 'nil' balance;

(c) forward by registered post an authenticated copy of the ledger account together with his latest nomination form (in original) to the specified authority to whose jurisdiction the employee has been transferred (hereinafter referred to as the transferee specified authority); and

(d) prepare an abstract in Form XII of the account transferred and supply—

(i) three copies to the transferee specified authority if such authority functions within the jurisdiction of the same nominated authority or four copies if the transferee specified authority functions within the jurisdiction of a different nominated authority; and

(ii) one copy to the nominated authority in whose jurisdiction the transferor specified authority functions.

(2) On receipt of the ledger account, the nomination form and the abstract, the transferee specified authority shall—

(a) tally the abstract with the authenticated copy of the ledger account;

(b) send one copy of the abstract, duly receipted, back to the transferor specified authority;

(c) forward the remaining copy or copies of the abstract, as the case may be, duly receipted, to its nominated authority;

(d) open a ledger account in respect of the transferred employee by entering therein the amounts of deposits and the interest standing to his credit on the date of his transfer as shown in the authenticated copy of the ledger account received from the transferor specified authority and indicating prominently in the remarks column of the ledger account that the entries are by transfer; and

(e) with reference to the authenticated copy of the ledger account and the abstract, calculate and credit the interest as admissible on the deposits for the months for which it has not been credited earlier.

(3) Where an employee is transferred from the jurisdiction of one specified authority to another and the jurisdiction of the nominated authority is the same, the nominated authority shall, on receipt of the copy of the abstract from the transferee specified authority and after verifying whether the copy received from the transferor specified authority is the same as the one received from the transferee specified authority, make necessary entries in the accounts of both the specified authorities concerned.

(4) Where as a result of the transfer of an employee, the nominated authority is a different authority, the nominated authority in whose jurisdiction the transferor specified authority functions, shall, on receipt of the copy of the abstract referred to in sub-clause (ii) of clause (d) of sub-paragraph (1), from the transferor specified authority—

(a) await the receipted copy of the abstract from the transferee specified authority through the nominated authority under whom the transferee specified authority functions and after verifying whether the copy received from the transferor specified authority is the same as the one received from the transferee specified authority, make necessary entries in the ledger account of the transferor specified authority; and

(b) inform the deposit office as well as the nominated authority under whom the transferee specified authority functions, the amounts transferred.

(5) In regard to cases falling under sub-paragraph (4), the nominated authority under whose jurisdiction the transferee specified authority functions, shall:—

(a) make necessary entries in the account of the transferee specified authority;

(b) forward one copy of the receipted abstract to the nominated authority under whose jurisdiction the transferor specified authority functions; and

(c) inform the deposit office of the amounts received by transfer.

(6) In this paragraph, the transferee specified authority and the nominated authority under whom the transferee specified authority functions, include the corresponding authorities specified in:

(a) the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Government Employees) Scheme, 1974; and

(b) the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Employees other than employees of Government and Local Authorities) Scheme, 1974.

12. **Annual statement of account of employees.**—(1) The specified authority shall, as soon as possible, after the close of one year from the appointed day and at the close of every succeeding year, supply to every employee a statement of account, in Form XIII.

(2) The employee shall communicate his acceptance or reasons for non-acceptance of the balances in his ledger account within one month of the receipt of the statement of account.

(3) The specified authority shall, within six weeks of the close of each year referred to in sub-paragraph (1), send to the nominated authority an abstract of the ledger account in Form 'XIV'.

(4) The specified authority shall afford the employee, if the latter so desires, all reasonable facilities for verifying the entries shown in the statement of account with those in the ledger account.

13. **Certificate of deductions.**—The specified authority shall issue to every employee liable to make a compulsory deposit under the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974 (38 of 1974), a certificate in Form 'XV', showing the credits (other than interest) in his ledger account during the year ending 31st March, within one month of the close of the said year.

14. **Issue of duplicate documents.**—In the event of loss or destruction of the annual statement of account supplied under sub-paragraph (1) of paragraph 12 or of the certificate of deductions issued under paragraph 13, the specified authority shall, on a request made to it in this behalf, issue a duplicate copy to the employee and the specified authority may charge a fee not exceeding fifty paise per copy for the issue of such duplicate copy.

15. **Recovery of arrears.**—(1) Where for any reason, the specified authority makes any remittance for credit to the deposit account later than the last day specified in sub-paragraph (1) of paragraph 5, he shall:

(a) for the period the remittance has not been made, deposit with the Government Treasury the amount representing interest on the delayed remittance at the rate specified under section 23 with the challan in Form XVI in quadruplicate, and

(b) attach a copy of the receipted challan, obtained from the Treasury, to the documents accompanying the remittance under sub-paragraph (2) of paragraph 5.

(2) If during the course of inspection under sub-section (2) of section 20 or otherwise, any omission or delay in the credit or remittance of any amount which ought to have been credited to the Additional Wages Deposit Account or Additional Dearness Allowance Deposit Account or remitted to the nominated authority, as the case may be, comes to the notice of the nominated authority or any person authorised in this behalf, such authority or person shall, require the specified authority in relation to which such omission or delay has come to notice, to make forthwith the necessary deductions or remittance, as the case may be, and deposit the amount in accordance with sub-paragraph (1).

16. **Audit of accounts.**—(1) Where the accounts and other relevant records of a Local Authority are required to be audited by an auditor designated for the purpose, such auditor shall also audit the accounts and other relevant records maintained under this scheme by the specified authority and forward the audit report thereon to the nominated authority.

(2) (a) Without prejudice to anything contained in sub-paragraph (1), the accounts and other relevant records maintained under this Scheme by the specified authority and the nominated authority in respect of the Additional Wages Deposit Account and the Additional Dearness Allowance Deposit Account shall be open to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in this behalf.

(b) The specified authority and the nominated authority shall preserve the aforesaid accounts and other relevant records for a period of three years after the deposits and interest due thereon have been repaid or till the period the objections, if any, raised by the Comptroller and Auditor-General of India have been settled, whichever is later.

First Schedule

(See paragraph 2(c))

Statement showing the jurisdiction of the nominated authorities and deposit offices authorised to receive remittances on their behalf.

State/Union Territory in which local authority is situated	Deposit Office
(1)	(2)
1. Andhra Pradesh	Reserve Bank of India, Hyderabad.
2. Assam	State Bank of India, Gauhati.
3. Bihar	Reserve Bank of India, Patna.
4. Gujarat	Reserve Bank of India, Ahmedabad.
5. Haryana	State Bank of India, Chandigarh.
6. Himachal Pradesh	State Bank of India, Simla.
7. Jammu and Kashmir	State Bank of India, Srinagar.
8. Karnataka	Reserve Bank of India, Bangalore.
9. Kerala	State Bank of India, Trivandrum.
10. Madhya Pradesh	State Bank of India, Bhopal.
11. Maharashtra	Reserve Bank of India, Bomby (Fort)
12. Manipur	State Bank of India, Imphal.
13. Meghalaya	State Bank of India, Shillong.
14. Nagaland	State Bank of India, Kohima.
15. Orissa	Reserve Bank of India, Bhubaneswar.
16. Punjab	State Bank of India, Chandigarh.
17. Rajasthan	State Bank of India, Jaipur.
18. Tamil Nadu	Reserve Bank of India, Madras.
19. Tripura	State Bank of India, Agartala.
20. Uttar Pradesh	State Bank of India, Lucknow.
21. West Bengal	Reserve Bank of India, Calcutta.
22. Pondicherry	State Bank of India, Pondicherry.
23. Mizoram	State Bank of India, Aijal.
24. Goa, Daman and Diu	State Bank of India, Panaji.
25. Delhi	Reserve Bank of India, New Delhi.
26. Andaman and Nicobar Islands	State Bank of India, Port Blair.
27. Chandigarh	State Bank of India, Chandigarh.
28. Dadra and Nagar Haveli	State Bank of India, Umbargaon.

Note :—In this Schedule, deposit offices in respect of the Union territories of Arunachal Pradesh and Lakshadweep have not been specified since there is no local authority in those territories.

SECOND SCHEDULE

FORM 'I'

(*See* paragraph 5)

CHALLAN—ORIGINAL/DUPLICATE

(To be filled in by the deposit office and *not by the depositor*)

Code No.————

*Serial No. of the Challan————

1. Ledger Folio No.————

Reserve Bank of India/State Bank of India

2. Particulars of cheque/draft

Additional Emoluments(Compulsory Deposit) Wages Account.

Paid into the credit of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Wages Account of————
(Name of the nominated authority)

No. and date	Name of the Bank and Branch on which drawn.	Rs.

Rs.————(Rupees————only) being the additional wages deducted from the emoluments of the employees for the month of————197

Passing Official————

Scroll transfer————

Office of the Local Authority and Address————

Signature of the specified authority

*The Serial No. shall be a running Serial No.

NOTE—The challan may be prominently marked on top left corner "Refund of unlisbursed amount" in red ink when it is used for the purpose under paragraph 10 (4) of the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Local Authority Employees) Scheme, 1974.

FORM 'II'

(*See* paragraph 5)

CHALLAN—ORIGINAL/DUPLICATE

Code No.————

*Serial No. of the Challan————

(To be filled in by the deposit office and *not by the depositor*).

1. Ledger Folio ————————

2. *Particulars of cheque/draft*

No. and Date	Name of the Bank and Branch on which drawn	Rs.

Reserve Bank of India/State Bank of India——

Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Dearness Allowance Account

Paid into the credit of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Dearness Allowance account of————————
(Name of the nominated authority)

Rs.————(Rupees ———— only) being the additional dearness allowance deducted from the emoluments of the employees for the month of————197

3. Passing official————————

4. Scroll transfer————————

Office of the Local Authority and Address————————

Signature of the specified authority

*The Serial No. shall be a running Serial No.

NOTE—The challan may be prominently marked on top left corner "Refund of undisbursd amount" in red ink when it is used for the purpose under paragraph 10(4) of the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Local Authority Employees) Scheme, 1974.

FORM III

(*See* paragraph 5)

CERTIFICATE OF PAYMENT

Certified that——————————————————————————————
(Name of the office of the Local Authority)

——————————purchased from us a Demand Draft bearing No.——————————

dated——————————for Rs.——————————(Rupees——————

——————————only) drawn on and payable at the——————————Bank

——————————————————— Branch in favour of——————————

——————————————————————————————————————

(Name of the nominated authority)

——————————————————————————————————————

AE (CD) *Wages/*Dearness Allowance Account.

Code number allotted to the
specified authority.....

Date.....

——————————

(Branch Manager)

Seal ——————————Bank

——————— Branch

——————————————————————————————————————

*Delete whichever is not applicable.

FORM 'IV'

(*See* paragraph 5)

RECEIPT

Certified that a sum of Rs.——————————————————————

Rupees ——————————————————————————only) deposited

with us by Cheque No.——————————————————————

drawn on——————————————by——————————

(Name of the office of the

——————————————————————————————————————

Local Authority)

has been credited to Additional Emoluments *Wages/*Dearness Allowance Deposit Account

of——————— ——————————————————————

(Name of nominated authority).

Code number allotted to
the specified authority——————————
Date——————————

——————————

Seal (Branch Manager)

——————————————————————————————————————

*Delete whichever is not applicable.

FORM—V

(*See* paragraph 5)

Statement of remittances for credit to the Additional Wages Deposit Account/Additiona Dearness Allowance Depcsit Account.

1. Running Serial No. :

2. Name of the Office of the Local Authority with address :

3. Code Number :

4. Number of employees on whose behalf deposits made :

5. *Details of remittance*

Nature of deposit	Total amount remitted	Challan Number and Date	Amount in column (2) not earning interest for the month of remittance
	Rs.		Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
Additional wages			
Additional dearness allowance			

Certified that the above amounts relate to the deductions made from the emoluments disbursed on ——————————

here mention date(s).

Date——————————

Signature of the specified authority.

Seal

FORM VI

(*See* paragraph 6)

Ledger Account in respect of Additional Wages Deposit Account/Additinal Dcarness Allowances Deposit Account.

As on (date)	Rate of interest

Name of the employee :

Folio/Account No. ——————

Nominee(s) as nominated under paragraph 7 of the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Local Authority Employees) Scheme, 1974.

Date of receipt of the nomination :

PART—A

Month	Additional Wages			Remarks	Additional Dearness Allowance			Remarks
	Deposits made during the month	Progressive total of deposits	Interest		Deposits made during the month	Progressive total of deposits	Interest	
	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

NOTE 1.—The ledger account will be maintained in Part 'A' during the period specified in sub-section (1) of section 6 of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974.

NOTE 2.—'Month' in column (1) will be the month of remittance and not the month to which the additional wages or additional dearness allowance relate; in the case of repayments, 'month' in column (1) will be the month of repayment.

NOTE 3.—Repayments during the period specified in sub-section (1) of section 6 of the Act will be shown in red ink as a minus entry.

NOTE 4.—(a) Interest may be credited at the end of a year for the year as a whole.

(b) Interest shall be credited for the period up to the end of the month preceding the month in which repayment is tendered or the employee is transferred or a revised rate of interest takes effect.

FORM VI

PART—B (*Continued*)

	Additional Wages	Additional dearness allowance
	Amount as on*	Amount as on*
I. DEPOSITS		
1. Balance brought forward		
(a) earning interest		
(b) not earning interest		
(c) Total		
2. Amount due for repayment		
3. Amount repaid		
4. Balance		
(a) earning interest		
(b) not earning interest		
(c) Total		
II. INTEREST		
1. Brought forward		
2. Earned		
3. Paid		
4. Balance		
III. VOUCHER NUMBER AND DATE OF PAYMENT		
(a) Deposit		
(b) Interest		
IV. REMARKS		

*Entries will be made every year or earlier when repayment is made or an account is transferred or the rate of interest is changed. The month and year of occurrence of such an event will be recorded in the blank space in the heading of the column.

NOTE 1.—The ledger account will be maintained in Part 'B' on the expiry of the period specified in sub-section (1) of section 6 of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974.

NOTE 2.—Interest shall be credited for the period upto the end of the month preceding the month in which repayment is tendered or the employee is transferred or a revised rate of interest takes effect.

FORM VII

(*See* paragraph 7)

NOMINATION FORM

PART—A

To

I hereby nominate the person/persons mentioned below to whom, in the event of my death the amount standing to my credit in my Additional Wages Deposit Account/Additional Dearness Allowance Deposit Account under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 at the time of my death would be payable :—

Serial Number	Name of the Nominee	Full Address	Where the nominee is a minor, date of birth of the nominee
(1)	(2)	(3)	(4)

2. As the nominee(s) against serial number(s) specified above is a/are minor(s), I appoint

(Name and full address)

as the person to receive the sum due under the said account in the event of my death, while the nominee(s) is/are still a minor(s).

Witness———————————

Name and full address———————————

———————————

Signature of the employee

PART—B

(to be filled in by the specified authority)

The nomination was received on———————————and has been entered in the ledger account.

Date———————————

———————————

Signature of the specified authority

FORM VIII

(*See* paragraph 7)

Application or cancelation or change of nomination made earlier

PART—A

To,

I hereby cancel the nomination made by me in respect of my Additional Wages Deposit Account and/Additional Dearness Allowance Deposit Account under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974.

*2. In the place of the cancelled nomination, I hereby nominate the person(s) mentioned below who shall, on my death, become entitled to the repayment of the sum due in the said account to the exclusion of all other persons :—

Serial Number	Name of the Nominee	Full Address	Where the nominee is a minor, date of birth of the nominee
(1)	(2)	(3)	(4)

*3. As the nominee(s) against serial number(s) specified above is a/are minor(s), I appoint

(Name and full address)

as the person to receive the sum due under the said account in the event of my death, while the nominee(s) is/are still (a) minor(s).

Witness_____ _____

Name and full address_____ Signature of the employee

PART—B

(to be filled in by the specified authority)

The nomination was received on_____and has been entered in the ledger account.

Date_____ _____

Signature of the specified authority

*Strike off if not applicable.

FORM IX

(*See* paragraph 9)

Account of the specified Authority

Name of the Office of the Local Authority———————————

Code No.———————————

ADDITIONAL WAGES DEPOSIT ACCOUNT

Month	Challan* No. Voucher @No. Abstract £ No. and date	Balance of deposit at the beginning of the month	Amount of Deposit	Amount transferred in	Amount transferred out/ repaid	Balance of deposit at the close of the month	Balance of interest at the beginning of the month	Interest transferred in	Interest transferred out/paid	Interest credited for the month	Interest at the close of the month	Remarks
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Total												

FORM IX (*continued*)

ADDITIONAL DEARNESS ALLOWANCE DEPOSIT ACCOUNT

Month	Challan *No./ Voucher @ No./Abstract £ No. and date	Balance of deposit at the beginning of the month	Amount of deposit	Amount transferred in	Amount transferred out/repaid	Balance of deposit at the close of the month	Balance of interest at the beginning of the month	Interest transferred in	Interest transferred out/paid	Interest credited for the month	Interest at the close of the month	Remarks
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Total												

*Serial number of challan in Form II or Form III as the case may be.

@Serial number of Statement in Form XI.

£Serial number of abstract in Form XII.

FORM X

(*See* paragraph 10)

Application for drawing amounts on account of additional wages and additional dearness allowance from the nominated authority.

1. Name of the office of the Local Authority :
2. Code number :
3. Sanction number and date :

A sum of Rs.————————(Rupees ————————) on account of additional wages and a sum of Rs.————————(Rupees————————) on account of additional dearness allowance, being the amounts of compulsory deposits lying in the deposit accounts/first/second/third/fourth/fifth and final instalment, of the amounts of compulsory deposits credited to the accounts of the under-mentioned employees, and Rs.————(Rupees————) and Rs.————(Rupees————) being the interest due on the respective deposit account as per details below is required for purposes of repayment to the employees. The same may be paid through Bank Draft/Cheque marked 'Account Payee' payable at————

4. Serial No.	Name of the employee	Ledger Folio No./ Account No.	*Additional Wages*		*Additional Dearness allowance*		@ Remarks
			Amount of deposit Rs.	Interest due Rs.	Amount of deposit Rs.	Interest due Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

Total: ————————

Certified that :

(1) the amounts shown under columns (4) and (6) have actually been deposited in the respective ledger accounts of the employees concerned and represent the amounts sanctioned/due for repayment ; and

(2) the interest due as shown under columns (5) and (7) has been calculated in the manner prescribed and at the rates applicable from time to time.

Place :
Date :

Signature of the specified authority

Seal

*Strike off if not applicable.

@Indicate the date of termination of service and reasons therefor where applicable.

FORM XI

(*See* paragraph 10)

Statement showing particulars of repayments to employees on account of Additional Wages / Additional Dearness Allowance.

1. Running Serial Number :

2. Name of the Office of the Local Authority :

3. Code No. :

4. Particulars of disbursements :

Amount received from the nominated authority			Amounts disbursed			Balance refunded		
Cheque/Demand Draft No. and date	Principal	Interest	Principal	Interest	Date of payment	Principal	Interest	Challan No. and date of refund
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Additional Wages Deposit Account								
B. Additional Dearness Allowance Deposit Account								

5. Names of employees to whom repayments could not be effected and reasons therefor.

Serial No.	Name of employee	Serial No. [Column (1)] in Form 'X' dated....	Reasons	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Place :
Date :

Signature of the specified authority.

Seal :

FORM XII

(*See* paragraph 11)

Abstract of the account transferred

PART—A

(To be filled by the transferor specified authority)

1. Running Serial Number :

2. Name of the office of the Local Authority :

3. Code No. :

4. Name and designation of the employee transferred :

5. Date of transfer :

6. Ledger Folio/Account No. :

7. Transferred from ——————————
(Name of the office of the Local Authority and its Code number and address

8. Transferred to——————————
(Name of the office of the Local Authority and its Code number and address

9. Particulars of amounts transferred :

	Amount	Date upto which deposit made	Interest credited	Date upto which interest in col. (3) credited	Deposits not earning interest		
					Amount	During the month of*	From the month of@
	Rs.		Rs.		Rs.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(a) Additional Wages Deposit							
(b) Additional Dearness Allowance Deposit							

Date :
Seal :

Signature of the specified authority.

**Vide* second proviso to paragraph 8 of the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Local Authority Employees) Scheme, 1974.

@*Vide* third proviso to paragraph 8 of the said Scheme.

FORM XII (*continued*)

Part 'B'

To be filled by the transferee specified authority

Receipt of the detailed ledger account of————————Ledger Folio No.———————— with the abstract as in Part 'A' above is hereby acknowledged. The employee has been allotted Folio No./Account No.————————in the ledger maintained in the office and necessary entries have been made of the transferred amounts in his ledger.

Place:

Date:

Seal: Signature of the specified authority.

Part 'C'

To be filled in by the transferee nominated authority

Certified that the amounts transferred have been credited in the Additional Wages Deposit Account/Dearness Allowance Deposit Account of the transferee specified authority (*and the concerned deposit office has been informed).

Place :

Date: Signature of the nominated authority

Seal:

Part 'D'

To be filled in by the transferor nominated authority

Certified that the amounts transferred have been debited in the Additional Wages Deposit Account/Dearness Allowance Deposit Account of the transfer or specified authority (*and the concerned deposit office has been informed).

Place:

Date : Signature of the nominated authority

Seal :

(*Strike off if not applicable).

FORM XIII

(*See* paragraph 12)

Statement of account of Additional Wages Deposit Account and Additional Dearness Allowance Deposit Account for the year ending——————

1. Name of the employee :

2. Ledger Folio/Account No. :

3. Name of the Office of the Local Authority :

Item	Additional Wages Deposit Account		Additional Dearness Allowance Deposit Account	
	Principal	Interest	Principal	Interest
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1. Opening balance

2. Deposits made/interest earned during the year.

3. Repayments made/interest paid during the year.

4. Closing balance at the end of the year.

Signature of the specified authority.

Place :

Date:

Seal :

COUNTERFOIL

Ledger Folio/Account No.

*I accept the above statement of account as correct.

*I do not accept the above statement of account for the following reasons.

Place:

Signature of employee.

Date:

*Strike off whichever is not applicable.

FORM XIV

(*See* Paragraph 12)

Annual abstract of the ledger account for the year ending ————————.

Name of the Office of the Local Authority

Code number ————————

Description	Deposit						Interest					
	Brought forward from the previous year	Transferred in due to transfers of accounts	Amounts deducted and remitted	Amounts repaid	Transferred out due to transfers of accounts	Balance at employees' credit at the end of the year	Brought forward from the previous year	Transferred in due to transfers of accounts	Earned during the year	Paid	Transferred out due to transfers of accounts	At the credit of the employees' account at the close of the year
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Additional Wages Deposit Account												
Additional Dearness Allowance Deposit Account												

Certified that the closing balances of deposits under column (7) and interest thereon under column (13) tally with the corresponding total balances in the ledger account.

Date :
Seal :

Signature of the specified authority.

FORM XV

(*See* paragraph 13).

CERTIFICATE OF DEDUCTIONS

Certified that the credits to the Additional Wages Deposit Account and Additional Dearness Allowance Deposit Account of Shri————————————during the year ending 31st March————————————amount to Rs ————(rupees———— ————————only)

Place:
Date :
Seal:

Signature of the specified authority

Name and full address of the specified authority.

FORM XVI

(*See* Paragraph 15)

Challan for depositing interest on delayed deductions/remittances in Government Treasury.

Challan number:

CENTRAL

Part A—*To be filled by the remitter* :

1. Remitter : (Here enter the particulars of the specified authority and its code number).	
2. Purpose of remittance :	Interest on delayed deductions/remittances.
3. Department to which the remittance relates.	Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India.
4. Authority for remittance :	Paragraph 15 of Additional Emoluments Compulsory Deposit (Local Authority Employees) Scheme, 1974
5. Amount paid :	Rs.....(rupees.....
6. Head of Account:	065—Other Administrative Services—C. Other Services—Other receipts.
7. Accounts Officers by whom adjustable : (here enter the Accountant General in the State concerned with Central transactions).	
8. Paid by : (a) Name : (b) Signature :	
9. Payment tendered at : (here enter name of Government Treasury/Sub-Treasury).	

Part B—*To be filled by Government Treasury/Sub-Treasury*

Received payment of Rs.————————(rupees————————only)

Signature (with date) of :

Treasurer Accountant : Treasury Officer :

[No. F. 2(5) CD/74]

J. INNOCENT, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1974

सा०का०नि० 459(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त, तथा उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारी) स्कीम, 1974 है ।

(2) यह 1974 की जुलाई के छठे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

2. **परिभाषाएं**.—इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) अभिप्रेत है;

(ख) "बैंक" से अभिप्रेत है—

(i) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;

(ii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक;

(iii) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक; और

(iv) कोई अन्य बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक हो;

(ग) "कटौती" से किसी कर्मचारी की उपलब्धियों में से धारा 6 के अधीन काटी गई रकम अभिप्रेत है;

(घ) "निक्षेप कार्यालय" से प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कार्यालय अभिप्रेत है;

(ङ) "कर्मचारी" से स्थानीय प्राधिकारी का कर्मचारी अभिप्रेत है और इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का स्थानीय प्राधिकारी में प्रतिनियुक्त कर्मचारी सम्मिलित है;

(च) "प्ररूप" से द्वितीय अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में, 'खाता-लेखा' से प्ररूप 6 में रखा जाने वाला लेखा अभिप्रेत है;

(ज) "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, उस राज्य की सरकार या उस संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(झ) 'पैरा' से इस स्कीम का पैरा और 'उप पैरा' से उस पैरा का, जिसमें कि वह आया है, उप-पैरा अभिप्रेत है ;

(ञ) 'अनुसूची' से इस स्कीम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ट) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ठ) "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से धारा 2 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित नियोजक अभिप्रेत है, और इसमें, संविद् श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) के अधीन किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारी के सम्बन्ध में, वह नियोजक भी है जो ऐसा ठेकेदार रखे ।

3. **कूट संख्याओं का आबंटन.**—नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन प्रत्येक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को एक कूट संख्या आबंटित करेगा और उसकी सूचना विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को देगा ।

4. **अनिवार्य निक्षेप के लिए कटौतियां करने की रीति.**—प्रत्येक कटौती धारा 11 में विनिर्दिष्ट रीति से पूर्णांकित की जाएगी :

परन्तु जहां कटौतियां दो या अधिक मजदूरी-अवधियों के लिए एक बार में की जाएं वहां ऐसी प्रत्येक अवधि के मद्दे की गई कटौती पूर्णांकित की जाएगी ।

5. **कर्मचारियों से की गई कटौतियों का प्रेषण.**—(1) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रत्येक मास की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, एतत्पश्चात् विनिर्दिष्ट रीति से, उस मास के लिए संचितरित उपलब्धियों में से कटौतियों की कुल रकम (जिसमें उन कमचारियों के सम्बन्ध में की गई कटौतियां सम्मिलित है जो अपनी उपलब्धियां स्वयं निकालते हैं) प्रेषित करेगा ।

(2) अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता में से प्रत्येक के सम्बन्ध में हर प्रेषण पृथक् चैक या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा । ऐसा चैक या मांगदेय ड्राफ्ट—

(क) उसी आस्थान पर स्थित, जहां निक्षेप कार्यालय स्थित है, किसी बैंक के नाम जारी किया जाएगा;

(ख) "पाने वाले के खाते" शब्दों से अंकित होगा और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पक्ष में, यथास्थिति, 'अप (अनि) मजदूरी खाता' या 'अप (अनि) महंगाई भत्ता खाता' शब्दों सहित होगा;

(ग) जैसा उपयुक्त हो, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में दो प्रतियों में चालान के साथ, निक्षेप कार्यालय को निविदित किया जाएगा, या रजिस्ट्री डाक से भेजा जाएगा ।

(3) जहां कोई प्रेषण मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाए वहां ड्राफ्ट जारी करने वाला बैंक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप '3' में एक संदाय प्रमाणपत्र देगा ।

(4) जहां प्रेषण चैक द्वारा किया जाए वहां निक्षेप कार्यालय विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप '4' में एक रसीद देगा ।

(5) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी चैक या मांगदेय ड्राफ्ट के निविदित किए जाने या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे जाने के पांच दिन के भीतर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप '5' में एक विवरण भेजेगा ।

(6) निक्षेप कार्यालय उप-पैरा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्ररूप '1' या प्ररूप '2' की द्वितीय प्रति, सम्यक् रूप से प्राप्ति-पुष्टि के साथ, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजेगा ।

(7) ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों की दशा में ठेकेदार ऐसी जानकारी देगा जैसी कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे इस स्कीम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित हो ।

6. **खाता-लेखा**.—विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता के सम्बन्ध में प्रत्येक कर्मचारी के नाम से पृथक्-पृथक खाता लेखा प्ररूप '4' या उससे यथा सम्भव मिलते प्ररूप में, खोलेगा और रखेगा ।

7. **नामनिर्देशन**.—

(1) कर्मचारी, प्ररूप '7' या जससे यथासम्भव मिलते प्ररूप में, एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जो कि खाता-लेखा में उस कर्मचारी के नाम में जमा रकम को, ब्याज सहित, उस दशा में प्राप्त करने का हकदार होगा जब कर्मचारी की मृत्यु अन्तिम वार्षिक किश्त के देय होने के पूर्व, या देय हो जाने के पश्चात् किन्तु संदाय किए जाने के पूर्व, हो जाए ।

(2) जब उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट रकम और उस पर ब्याज दो या अधिक नामनिर्देशितियों को देय हो और उनकी या उनमें से किसी की मृत्यु ऐसा संदाय हो जाने के पूर्व हो जाती है तो रकम उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदत्त की जाएगी ।

(3) कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन प्ररूप '7' या यथासम्भव उससे मिलते प्ररूप में किए गए नए नामनिर्देशन द्वारा रद्द किया जा सकेगा या बदला जा सकेगा ।

(4) प्रत्येक नामनिर्देशन और उसका प्रत्येक रद्दकरण या उसमें परिवर्तन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा और लेखा-खाता में दर्ज किया जाएगा ।

(5) यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है तो कर्मचारी ऐसे अल्पवयस्क की ओर से, तब तक जब तक कि अल्पवयस्क वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, कर्मचारी की मृत्यु की दशा में शोध्य रकम प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है ।

(6) जहां कर्मचारी ने कोई नामनिर्देशन नहीं किया हो वहां खाता-लेखा में उसके नाम में जमा रकम, उस पर ब्याज सहित, उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में,—

(क) परिवार के सभी सदस्यों को समान अंशों में देय होगी :

परन्तु मृतक के पुत्र की विधवा या विधवाएं, बालक या संतान केवल उस अंश को आपस में समान भाग में प्राप्त करेंगे जो मृतक के पुत्र को कर्मचारी का उत्तरजीवी होने की दशा में प्राप्त होता;

(ख) यदि कोई परिवार नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को देय होगी जो प्रोबेट या प्रशासन-पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अधीन जारी किया गया उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, जिसके द्वारा धारक को ऐसा संदाय प्राप्त करने का हकदार बनाया गया हो, पेश करता है :

परन्तु यह कि यदि कुल देय रकम पच्चीस सौ रुपए से अधिक नहीं है तो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसा प्रोबेट या प्रशासन-पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पेश करने की अपेक्षा का अधित्यजन कर सकता है और रकम का संदाय ऐसे व्यक्ति को कर सकता है जो उसको उसे प्राप्त करने का हकदार प्रतीत हो ।

स्पष्टीकरण.—(क) इस उप-पैरा में, किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में, 'कुटुम्ब' से अभिप्रेत है:

(i) पुरुष कर्मचारी की दशा में, उसकी पत्नी, उसकी संतान, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, कर्मचारी पर आश्रित उसके माता-पिता तथा उसके पूर्व-मृत पुत्र की विधवा और सन्तान, यदि कोई हो,

(ii) महिला कर्मचारी की दशा में, उसका पति, उसकी संतान, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, कर्मचारी पर आश्रित उसके माता-पिता और उसके पूर्व-मृत पुत्र की विधवा और संतान यदि कोई हो ।

(ख) जहां कर्मचारी की स्वीय विधि उसे बालक के दत्तक ग्रहण करने की अनुमति देती हो वहां उसके द्वारा विधिवत् दत्तक ग्रहीत बालक उसके परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा और जहां किसी कर्मचारी का बालक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण किया गया है और ऐसा दत्तक ग्रहण, ऐसा दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन विधिपूर्ण है, वहां ऐसा बालक कर्मचारी के परिवार से अपवर्जित समझा जाएगा ।

8. ब्याज.—प्रत्येक कटौती पर उस मास के जिसमें ऐसी कटौती नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है, प्रथम दिन से साधारण ब्याज मिलेगा :

परन्तु यह कि यदि किसी मास के प्रथम दिन के पश्चात् बचत निक्षेप दर में परिवर्तन हो जाता तो ब्याज की पुनरीक्षित दर उत्तरवर्ती मास के प्रथम दिन से प्रभावी होगी:

परन्तु यह और कि उस मास में,

(क) उसी मास की किसी अवधि के लिए अतिरिक्त मजदूरी और अतिरिक्त महंगाई भत्ता की बाबत, या

(ख) उस मास की दसवीं तारीख के पश्चात् कर्मचारी को संदत्त, मजदूरी पुनरीक्षण के कारण या अन्यथा परिणामित अतिरिक्त मजदूरी या महंगाई भत्ते की बाबत, जिसमें बकाया भी है,

कोई ब्याज उद्भूत नहीं होगा ।

परन्तु यह भी कि किसी रकम पर उस मास से कोई ब्याज उद्भूत नहीं होगा जिसमें कि वह प्रतिसंदेय हो जाए और, यथास्थिति, कर्मचारी को या उसके नामनिर्देशिती को निविदत्त की जाए तथा ऐसा कर्मचारी या नामनिर्देशिती किसी भी कारणवश उस रकम को प्राप्त करने में चूक करे ।

9. **नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा खाते का रखा जाना.**—

(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्बन्ध में अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता के लिए पृथक-पृथक खाता प्ररूप '9' में रखेगा ।

(2) (क) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष के अन्त में यह सत्यापित करेगा कि प्ररूप '9' में रखे गए खाते में दिखाए गए अतिशेष और ब्याज, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पैरा 12 के उप-पैरा (3) के अधीन प्रस्तुत किए गए प्ररूप '14' में खाता-लेखा की वार्षिक संक्षिप्ति से मेल खाते है या नहीं ।

(ख) यदि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई असंगति ज्ञात होती है तो वह, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के परामर्श से, ऐसी असंगति को दूर करेगा ।

10. **प्रतिसंदाय.**—

(1) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अतिरिक्त मजदूरी और अतिरिक्त महंगाई भत्ता के लिए, धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिसंदाय करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित रकमें पृथक-पृथक् प्राक्कलित करेगा और प्रत्येक वर्ष जून के अंतिम दिन के पूर्व नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप '10' में आवेदन करेगा ।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी,—

(क) प्ररूप '9' में रखे गए खाते के प्रति निर्देश से, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंदेय कुल रकम और देय ब्याज की संगणना करेगा; और

(ख) इस प्रकार संगणित रकम, किन्तु जो उप-पैरा (1) के अन्तर्गत मांगी गई रकम से अधिक न हो, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा ।

(3) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कर्मचारी को प्रतिसंदेय रकमों का संवितरण उस रकम के नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर करेगा और संवितरण के तीन दिन के भीतर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को संवितरण के ब्यौरे प्ररूप '11' में प्रस्तुत करेगा ।

(4) जहां, किसी भी कारणवश, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उप-पैरा (2) के अधीन उपलब्ध कराई गई कुल रकम या उसका कोई भाग उसकी प्राप्ति के दस दिन के भीतर संवितरित नहीं किया जा सकता हो वहां विनिर्दिष्ट प्राधिकारी असंवितरित रकम को, पैरा 5 के उप-पैरा (2) में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, इस प्रकार वापस कर देगा मानों वह कटौतियों का प्रेषण हो । प्रत्येक चालान पर, जो इस बात के अनुसार कि असंवितरित रकम अतिरिक्त मजदूरी से संबंधित है या अतिरिक्त महंगाई भत्ते से, प्ररूप '1' या प्ररूप '2' में होगा और उस पर 'असंवितरित रकम की वापसी' शब्द लाल स्याही से अंकित किए जाएंगे ।

(5) जहां कोई प्रतिसंदाय धारा 9 की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक के अधीन किया जाना हो वहां विनिर्दिष्ट प्राधिकारी—

(क) कर्मचारी की अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति के दस दिन पूर्व; और

(ख) किसी अन्य मामले में, उस घटना के होने के ठीक पूर्व जिसके कारण प्रतिसंदाय आवश्यक हो,

प्ररूप '10' में आवेदन करेगा और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्रति-संदाय करने में उप-पैरा (1) से (4) तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे ।

11. **कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लेखाओं का समायोजन.**—

(1) किसी कर्मचारी का एक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिता से दूसरे की अधिकारिता में स्थानान्तरण होने पर, चाहे वह उसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर हो अथवा अन्यथा, वह विनिर्दिष्ट प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता से कर्मचारी का स्थानान्तरण हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है)—

(क) खाता-लेखा को, उसमें सभी कटौतियों की, जिसमें स्थानान्तरण के मास के दौरान की गई कटौतियां भी हैं, और कटौतियों पर स्थानान्तरण के पूर्ववर्ती मास की समाप्ति पर्यन्त अर्जित ब्याज की, प्रविष्टियां करके पूरा करेगा;

(ख) खाता-लेखा में स्थानान्तरण की समुचित प्रविष्टि करेगा और खाते को 'शून्य' अतिशेष दिखाकर बन्द करेगा;

(ग) खाता-लेखा की एक प्राधिकृत प्रति, कर्मचारी के सबसे अंतिम नामनिर्देशन के प्ररूप के साथ (जो मूल रूप में होगा), उस विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में कर्मचारी का स्थानान्तरण हुआ है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), रजिस्ट्रीकृत डाक से अग्रेषित करेगा; और

(घ) अंतरित खाते की संक्षिप्ति प्ररूप '12' में तैयार करेगा; और—

(i) उसकी तीन प्रतियां अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजेगा यदि ऐसा प्राधिकारी उसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर कृत्य कर रहा है अथवा यदि अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भिन्न नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर कृत्य कर रहा है तो चार प्रतियां उसे भेजेगा; और

(ii) उसकी एक प्रति उस नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजेगा जिसकी अधिकारिता में अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य कर रहा है ।

(2) खाता-लेखा, नाम निर्देशन प्ररूप और संक्षिप्ति की प्राप्ति पर अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी—

(क) संक्षिप्ति की तुलना खाता-लेखा की प्राधिकृत प्रति से करेगा;

(ख) संक्षिप्ति की एक प्रति, सम्यक् रूप से प्राप्ति-पुष्टि के साथ अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजेगा ।

(ग) यथास्थिति, संक्षिप्ति की शेष प्रति या प्रतियों को, सम्यक् रूप से प्राप्ति-पुष्टि के साथ, अपने नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा;

(घ) स्थानान्तरित कर्मचारी के सम्बन्ध में एक खाता-लेखा खोलेगा जिसमें, उसके स्थानान्तरण की तारीख को उसके नाम में जमा निक्षेपों की वे रकम और ब्याज जो अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त खाता लेखा की प्राधिकृत

प्रति में दर्शाई गई हों, दर्ज करेगा और खाता-लेखा के टिप्पण स्तम्भ में सुस्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि प्रविष्टियों का आधार अन्तरण है; और

(ङ) खाता-लेखा और संक्षिप्ति की प्राधिकृत प्रति के प्रति निर्देश से, उन मासों के लिए निक्षेपों पर जिनके लिए ब्याज पहले जमा नहीं किया गया हो, यथा अनुज्ञात ब्याज की संगणना करेगा और उसे खाता-लेखा में जमा करेगा ।

(3) जहां कोई कर्मचारी एक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिता से दूसरे की अधिकारिता में स्थानान्तरित किया जाता है और दोनों उसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिता में हों तो नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से संक्षिप्ति की प्रति की प्राप्ति पर, और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात कि अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त प्रति वैसी ही है जैसी कि अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त प्रति, दोनों सम्बन्धित विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के खातों में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा ।

(4) जहां किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी कोई भिन्न प्राधिकारी है तो वह नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता में अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य करता है, अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से उप-पैरा (1) के खंड (घ) के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट संक्षिप्ति की प्रति प्राप्त होने पर,—

(क) अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से, उस नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से जिसके अधीन अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य करता है, संक्षिप्ति की प्राप्ति-पुष्ट प्रति की प्रतीक्षा करेगा और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त प्रति वैसी ही है जैसी कि अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त प्रति, अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के खाता-लेखा में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा; और

(ख) निक्षेप कार्यालय को, और साथ ही साथ उस नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को जिसके अधीन अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य करता है, अन्तरित रकमों की सूचना देगा ।

(5) उप-पैरा (4) के अधीन आने वाले मामलों में, वह नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता के अधीन अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य करता है—

(क) अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के खाते में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा;

(ख) प्राप्ति-पुष्ट संक्षिप्ति की एक प्रति उस नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसकी अधिकारिता के अधीन अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य करता है; और

(ग) अन्तरण के आधार पर प्राप्त रकमों की सूचना निक्षेप कार्यालय को देगा ।

(6) इस पैरा में, अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसके अधीन अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य करता है—

(क) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी कर्मचारी) स्कीम, 1974;

(ख) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारी) स्कीम, 1974;

में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्राधिकारी सम्मिलित है ।

12. **कर्मचारियों का वार्षिक लेखा विवरण.**—(1) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, नियत दिन से एक वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् तथा प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष की समाप्ति पर, यथासम्भव शीघ्र, प्रत्येक कर्मचारी को प्ररूप '13' में एक लेखा विवरण देगा ।

(2) कर्मचारी लेखा विवरण की प्राप्ति के एक मास के भीतर अपने खाता-लेखा के अतिशेष की स्वीकृति, या उसकी अस्वीकृति के कारण, से सूचित करेगा ।

(3) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के छह सप्ताह के भीतर, खाता-लेखा की संक्षिप्ति प्ररूप '14' में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजेगा ।

(4) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कर्मचारी को, यदि वह ऐसी वांछा करे, तो वार्षिक लेखा विवरण में दिखाई गई प्रविष्टियों का सत्यापन खाता-लेखा की प्रविष्टियों से करने के लिए सभी समुचित सुविधाएं प्रदान करेगा ।

13. **कटौतियों का प्रमाणपत्र.**—विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को जो अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता)अधिनियम, 1974 (1974 का 38) के अधीन अनिवार्य निक्षेप करने के दायित्वाधीन है, 31 मार्च, को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कर्मचारी के खाता-लेखा में जमा की गई रकमों (ब्याज से भिन्न)को दर्शित करते हुए, प्ररूप 15 में एक प्रमाणपत्र उस वर्ष की समाप्ति के एक मास के भीतर, जारी करेगा ।

14. **दस्तावेजों की दूसरी प्रति का जारी किया जाना.**—पैरा 12 के उप-पैरा (1)के अधीन दिए गए वार्षिक लेखा विवरण या पैरा 13 के अधीन जारी किए गए कटौतियों के प्रमाणपत्र के खो-जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, यदि उससे इस निमित्त निवेदन किया जाए तो, कर्मचारी को एक दूसरी प्रति जारी करेगा और ऐसी दूसरी प्रति जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी हर प्रति के लिए अधिक से अधिक पचास पैसे फीस प्रभारित कर सकता है ।

15. **बकाया की वसूली.**—(1) जहां, किसी कारणवश, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 5 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट अन्तिम दिन के पश्चात् निक्षेप-लेखा में जमा करने के लिए कोई प्रेषण करता है वहां वह:

(क) उस अवधि के लिए जिसके लिए प्रेषण नहीं किया गया हो, सरकारी खजाने में विलम्बित प्रेषण की ब्याज की बाबत रकम का, धारा 23 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर, चार प्रतियों में प्ररूप '16' में चालान के साथ, निक्षेप करेगा, और

(ख) खजाना से अभिप्राप्त प्राप्ति-पुष्ट चालान की एक प्रति, पैरा 5 के उप-पैरा (2) के अधीन प्रेषण के साथ संलग्न दस्तावेजों के साथ, संलग्न करेगा ।

(2) यदि धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण के क्रम में या अन्यथा किसी ऐसी रकम के जमा करने या प्रेषण में कोई ऐसा लोप या विलम्ब नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति की जानकारी में आता है, जो कि, यथास्थिति, अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता

या अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता में जमा की जानी चाहिए थी या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए थी, वहां ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति उस विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से, जिसके सम्बन्ध में ऐसा लोप या विलम्ब उसकी जानकारी में आया है, अविलम्ब, यथास्थिति, आवश्यक कटौती या प्रेषण करने की और रकम को उप-पैरा (1) के अनुसार निक्षिप्त करने की उपेक्षा करेगा ।

16 **लेखाओं की संपरीक्षा** :

(1) जहां किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों की इस निमित्त पक्षामिहित्त किसी संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षा अपेक्षित है वहां ऐसा संपरीक्षक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस स्कीम के अधीन रखे गये लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों की भी संपरीक्षा करेगा और उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(2) (क) उप-पैरा (1) में किसी बात के होते हुये भी, अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खातों के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रखे गए लेखाओं और अन्य सुसगत अभिलेखों की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है ।

(ख) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त लेखाओं और अन्य सुसगत अभिलेखों का परिरक्षण निक्षेपों और उन पर शोध्य ब्याज के प्रतिसंदाय के पश्चात तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त अथवा उस अवधि पर्यन्त जब तक कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा उल्लिखित आक्षेपों का, यदि कोई हों निपटारा नहीं हो जाता, दोनों में से जो भी अवधि पश्चातवर्ती हो, किया जायेगा ।

प्रथम अनुसूची

पैरा (ग) देखिये

नाम-निर्दिष्ट प्राधिकारियों और उनकी ओर से प्रेषणों को प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत निक्षेप कार्यालयों की अधिकारिता दर्शित करने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिसमें स्थानीय प्राधिकारी स्थित है	निक्षेप कार्यालय
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद ।
2. असम	भारतीय स्टेट बैंक, गोहाटी ।
3. बिहार	भारतीय रिजर्व बैंक, पटना ।

1	2
4. गुजरात	भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद ।
5. हरियाणा	भारतीय स्टेट बैंक, चण्डीगढ़ ।
6. हिमाचल प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक, शिमला ।
7. जम्मू और कश्मीर	भारतीय स्टेट बैंक, श्रीनगर ।
8. कर्नाटक	भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलौर ।
9. केरल	भारतीय स्टेट बैंक, त्रिवेन्द्रम ।
10. मध्य प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल ।
11 महाराष्ट्र	भारतीय रिजर्व बैंक मुम्बई (फोर्ट) ।
12. मणिपुर	भारतीय स्टेट बैंक, इम्फाल ।
13. मेघालय	भारतीय स्टेट बैंक, शिलांग ।
14. नागालैन्ड	भारतीय स्टेट बैंक, कोहिमा ।
15. उड़ीसा	भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर ।
16. पंजाब	भारतीय स्टेट बैंक, चण्डीगढ़ ।
17. राजस्थान	भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर ।
18. तमिलनाडु	भारतीय रिजर्व बैंक, मद्रास ।
19. त्रिपुरा	भारतीय स्टेट बैंक, अगरतला ।
20. उत्तर प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ ।
21. पश्चिमी बंगाल	भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता ।
22. पाण्डिचेरी	भारतीय स्टेट बैंक, पाण्डिचेरी ।
23. मिजोरम	भारतीय स्टेट बैंक, एजल ।
24. गोवा, दमण और दीव	भारतीय स्टेट बैंक, पणजी ।
25. दिल्ली	भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली ।
26. अन्दमान, निकोबार द्वीपसमूह	भारतीय स्टेट बैंक, पोर्ट ब्लेयर ।
27. चण्डीगढ़	भारतीय स्टेट बैंक, चण्डीगढ़ ।
28. दादरा नागर हवेली	भारतीय स्टेट बैंक, उम्बरगांव ।

टिप्पणी.—इस अनुसूची में अरूणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में निक्षेप कार्यालयों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि उन राज्य क्षेत्रों में कोई स्थानीय प्राधिकारी नहीं है ।

प्रकप 1

(पैरा 5 देखिये)

द्वितीय अनुसूची

चालान—मूल दूसरी प्रति

निक्षेप कार्यलय द्वारा न कि]
निक्षेपक द्वारा भरा जाना है

1. खाता फोलिय

चलान मूल दूसरी प्रति सं०

1. खाता फोलियो सं० कूट सं०

2. चेक/ड्राफ्ट की विशिष्टियां *चालान की क्रम सं०

सं० बैंक और शाखा का नाम जिस पर और तारीख चैक काटा गया है

रु० भारतीय रिजर्व बैंक/ स्टेट बैंक अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) मजदूरी खाता। ————————के अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) मजदूरी खाते में————————रु० (केवल ————————रुपए) जो कि ————————197 . के मास के लिए कर्मचारियों की उपलब्धियों में से कटौती की गई अतिरिक्त मजदूरी है, संदत्त किये गये।

(नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम)

पंक्ति करनें वाला पद धारी अन्तरण तालिका

स्थानीय प्राधिकारी का कार्यालय और पता

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

*टिप्पण.—क्रम संख्या एक निरन्तर क्रम संख्या होगी।

जब चालान का उपयोग अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारी) स्कीम, 1974 के पैरा 10 (4) के अधीन प्रयोजन के लिये किया जाए तब उसके उपर के बाएं कोने में "असंवितरित रकम को वापसी" शब्द लाल स्याही से सुस्पष्टतः अंकित जिये जायेंगे।

प्ररूप 2

(पैरा 5 देखिये)

(निक्षेप कार्यालय द्वारा न कि निक्षेपक द्वारा भरा जाना है)

कूट सं०————————

*चालान की क्रम सं०——

1. खाता पन्ना ————————

चालान—मूल/दूसरी प्रति

2. चेक/ड्राफ्ट की विशिष्टियां ————————

भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय स्टेट बैंक अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) महंगाई भत्ता खाता।

सं० बैंक और शाखा का नाम जिस पर चैक तारीख काटा गया।

रु०————————के अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) (नाम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम) महंगाई भत्ता खाते के जमा खाते में संदत्त ———रु० (केवल———रुपये) जो कि ———197 के मास के लिये कर्मचारियों की उपलब्धियों से काटा गया अतिरिक्त महंगाई भत्ता है, संदत्त किये गये।

3. पारित करने वाला पद धारी

2. अन्तरण तालिका———— स्थानीय प्राधिकारी का कार्यालय और पता ————————

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

*टिप्पण.—क्रम संख्या एक निरन्तर क्रम संख्या होगी।

जब चालान का उपयोग अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (स्थानीय प्राधिकारी (कर्मचारी) स्कीम, 1974 के पैरा 10 (4) के अधीन प्रयोजन के लिये किया जाए तब उसके ऊपर के बाएं कोने में "असवितरित रकम की वापसी" शब्द लाल स्याही से सुस्पष्टतः अंकित किए जाएंगे।

प्ररूप 3

(पैरा देखिये)

संदाय प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ——————————————————

स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम)

ने ——————————के पक्ष में——————————————————

(नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम)

——————————बैंक की ——————शाखा के नाम काटा गया और वहां संदेय ——————रु० (केवल ——————————रुपये का एक मांगदेय डाफ्ट, संख्या ————, तारीख —————— हयेसे क्या किया है ।

अ० उ० (अ नि) मजदूरी/ महंगाई भत्ता खाता ।

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को

आबंटित कूट संख्या ——————

तारीख ——————————

मुद्रा शाखा प्रबन्धक

——————————बैंक

जो लागू न हो, उसे काट दीजिये । ——————शाखा

———

प्ररूप 4

(पैरा 5 देखिय)

रसीद

प्रमाणित किया जाता है कि ——————————————————

(स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय

——————————द्वारा ——————के नाम पर काटे गए का नाम)

चैक सं० ——————द्वारा हमारे पास निक्षिप्त ————रुपये (केवल————रुपये) की राशि —————— ——————————————————

(नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम)

के अतिरिक्त उपलब्धियां मजदूरी * /महंगाई भत्ता * निक्षेपखाते में जमा करदी गई है ।

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को

आबंटित कूट सं०——————

तारीख ——————

मुद्रा (शाखा प्रबन्धक)

*जो लागू न हो, उसे काट दीजिये ।

प्रपत्र 5

(पैरा 6 देखिये)

अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता /अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता में जमा करने के लिए प्रेषणों का विवरण

1. निरन्तर क्रम सं० :

2. स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम और पता :

3. कूट सं० :

4. कर्मचारियों की संख्या, जिनकी ओर से निक्षेप किए गए हैं :

5. प्रेषण के ब्यौरे :

निक्षेप की प्रकृति	प्रेषित कुल रकम	चालान सं० और तारीख	स्तम्भ (2) में की वह रकम जिस पर प्रेषण के मास के लिए ब्याज नहीं लगेगा
	रु०		रु०
(1)	(2)	(3)	(4)
अतिरिक्त मजदूरी			
अतिरिक्त महंगाई भत्ता			

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रकमें को संवितरित उपलब्धियों में से की गई कटौतियों से संबंधित हैं। [यहां तारीख (तारीख) लिखिए]

तारीख.....

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुद्रा

प्ररूप 6

(पैरा 6 देखिए)

अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता / अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाते की बाबत खाता-लेखा

कर्मचारी का नाम :

तारीख ब्याज की दर फोलियो / खाता सं०

अतिरिक्त उपलब्धियों अनिवार्य निक्षेप (स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारी) स्कीम, 1974 के पैरा 7 के अधीन यथा-नाम-निर्देशित नाम-निर्देशिती ।

नाम-निदेशन की प्राप्ति की तारीख :

भाग—क

मास	अतिरिक्त मजदूरी			टिप्पणियां	अतिरिक्त महंगाई भत्ता			टिप्पणियां
	मास के दौरान किए गए निक्षेप रु०	निक्षेपों का योग रु०	ब्याज उत्तरोत्तर रु०		मास के दौरान किए गए निक्षेप रु०	निक्षेपों का योग रु०	ब्याज रु०	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

टिप्पण 1.—खाता लेखा अनिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य) निक्षेप अधिनियम, 1974 की धारा 6 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान भाग 'क' में रखा जाएगा ।

टिप्पण 2.—स्तम्भ (1) में 'मास' प्रेषण का मास होगा, न कि ऐसा मास जिससे अतिरिक्त मजदूरी या अतिरिक्त महंगाई संबंधित हैं, प्रतिसंदायों की दशा में, स्तम्भ (1) में मास प्रतिसंदाय का मास होगा ।

टिप्पण 3.—अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिसंदाय ऋण-प्रविष्टि के रूप में लाल स्याही में दर्शित किए जाएंगे ।

टिप्पण 4.—(क) ब्याज सम्पूर्ण वर्ष के लिए वर्ष की समाप्ति पर जमा किया जा सकेगा ।

(ख) ब्याज, उस मास के, जिसमें प्रतिसंदाय निविदत्त किया जाए या कर्मचारी स्थानान्तरित किया जाए या ब्याज की पुनरीक्षित दर लागू हो, ठीक पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक की अवधि के लिए जमा किया जाएगा ।

भाग-ख

I निक्षेप ———————————

1. अग्रानीत अतिशेष अतिरिक्त मजदूरी अतिरिक्त महंगाई

(क) जिस पर ब्याज उपार्जित हो रहा है भत्ता

(ख) जिस पर ब्याज उपार्जित नहीं हो रहा है ———————————

(ग) योग रकम, जैसी कि रकम, जैसी कि

2. प्रतिसंदाय के लिए शोध्य रकम वह....को थी* वह....को थी*

3. प्रतिसंदत्त रकम———————————

4. अतिशेष

(क) जिस पर ब्याज उपार्जित हो रहा है———————————

(ख) जिस पर ब्याज उपार्जित नहीं हो रहा है

(ग) योग

II. ब्याज

1. अग्रानीत

2. उपार्जित

3. संदत्त

4. अतिशेष

III. वाउचर सं० और संदाय की तारीख

(क) निक्षेप

(ख) ब्याज

IV. टिप्पणियां

———————————

*प्रविष्टियां प्रति वर्ष की जाएंगी या उस स्थिति में उससे पूर्व की जाएंगी जब प्रतिसंदाय किया जाए या जब कोई खाता अन्तरित किया जाए या ब्याज की दर परिवर्तित की जाए। ऐसी स्थिति के घटित होने का मास या वर्ष स्तम्भ के शीर्षक में रिक्त स्थान में अभिलिखित किया जाएगा।

टिप्पण 1.—खाता-लेखा अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य) निक्षेप, 1974 की धारा 6 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर भाग 'ख' में रखा जाएगा।

टिप्पण 2.—ब्याज, उस मास के, जिसमें प्रतिसंदाय निविदत्त किया जाए या कर्मचारी स्थानान्तरित किया जाए या ब्याज की पुनरीक्षित दर लागू हो, ठीक पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक की अवधि के लिए जमा किया जाएगा।

प्ररूप 7

(पैरा 7 देखिए)

नामनिदेशन प्ररूप

भाग–क

सेवा में,

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों के नामनिर्दिष्ट करता हूं जिन्हें, मेरी मृत्यु होने की दशा में, अतिरिक्त उपलब्धियों (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अधीन मेरे अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाते/अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाते में मेरे नाम में जमा रकम मेरी मृत्यु के समय देय होगी :—

क्रम सं०	नामनिर्देशिती का नाम	पूरा पता	जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां नामनिर्देशिती के जन्म की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)

2. क्योंकि ऊपर विनिर्दिष्ट क्रम संख्या (संख्याओं) के सामने उल्लिखित नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं, मैं श्री.....को उस व्यक्ति के रूप में

(नाम और पूरा पता)

नियुक्त करता हूं जो मेरी मृत्यु होने की दशा में, नामनिर्देशिती की अवयस्कता की स्थिति में, उक्त खाते के अन्तर्गत शोध्य राशि प्राप्त करेगा ।

साक्षी.....

नाम और पूरा पता

कर्मचारी के हस्ताक्षर

भाग–ख (विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

नामनिर्देशन.....को प्राप्त हुआ था और खाता-लेखा में दर्ज कर दिया गया है ।

तारीख.....

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 8

(पैरा 7 देखिए)

पहले किए गए नामनिर्देशन के रद्दकरण या परिवर्तन के लिए आवेदन ।

भाग—क

सेवा में,

मैं, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अधीन अपने अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाते और / अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाते की बाबत उस नामनिर्देशन को रद्द करता हूं जो मैंने किया था ।

2. रद्द्कृत नामनिर्देशन के स्थान पर, मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता हूं जो मेरी मृत्यु होने पर, अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए, उक्त खाते में शोध्य राशि के प्रतिसंदाय का हकदार बन जाएगा / जाएंगे :—

क्रम सं०	नामनिर्देशिती का नाम	पूरा पता	जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां नामनिर्देशिती के जन्म की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)

*3. क्योंकि ऊपर विनिर्दिष्ट क्रम संख्या / संख्याओं के सामने उल्लिखित नामनिर्देशिती अवयस्क है / हैं, मैं.....को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता
(नाम और पूरा पता)
हूं जो मेरी मृत्यु होने की दशा में, नामनिर्देशिती की अवयस्कता की स्थिति में उक्त खाते के अन्तर्गत शोध्य राशि प्राप्त करेगा ।

साक्षी.....

(नाम और पूरा पता)

कर्मचारी के हस्ताक्षर

भाग—ख (विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

नामनिर्देशन.....को प्राप्त हुआ था और खाता-लेखा में दर्ज कर दिया गया है ।

तारीख.....

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

*यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का लेखा

प्ररूप 9

स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम———————————

(पैरा 9 देखिए)

कूट सं०———————————

अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता

मास	*चालान सं०	@बाउचर सं०	†संक्षिप्ति सं० और तारीख	मास के प्रारम्भ में निक्षेप का अतिशेष	निक्षेप को रकम	खाते में अन्तरित रकम	अन्तरित प्रतिसंदत्त रकम	मास की समाप्ति पर निक्षेप का अतिशेष	मास के प्रारम्भ में ब्याज का अतिशेष	खाते में अन्तरित ब्याज	अन्तरित संदत्त ब्याज	मास के लिए जमाखाते डाला गया ब्याज	मास की समाप्ति पर ब्याज	टिप्पणियां
				रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
जोड़														

प्ररूप '9' (जारी)

अतिरिक्त मंहगाई भत्ता निक्षेप खाता

माम चालान सं०	वाउचर सं०	संक्षिप्त सं० और तारीख	मास के प्रारम्भ में निक्षेप का अतिशेष	निक्षेप की रकम	खाता अन्तरित रकम	खाता से अन्तरित प्रतिसंदत्त रकम	मास की /समाप्ति पर निक्षेप का ईतिशेष	मास के प्रारम्भ में ब्याज का अतिशेष	खाता में अन्तरित ब्याज	खाता से अन्तरित/ संदत्त ब्याज	मास के लिए जमाखाते डाला गया ब्याज	माम की समाप्ति पर ब्याज	टिप्पणियां
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
जोड़													

*यथास्थिति प्ररूप 2 या प्रारूप 3 में चालान की क्रम संख्या ।

@प्ररूप 9 में विवरण की क्रम संख्या ।

£प्ररूप 12 में संक्षिप्ति की क्रम संख्या

प्ररूप—10

(पैरा 10 देखिए)

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अतिरिक्त मजदूरी और अतिरिक्त महंगाई भत्ता खाते मदवे रकम के आहरण के लिए आवेदन

1. स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम :
2. कूट संख्या :
3. मंजूरी की संख्या और तारीख* :

अतिरिक्त मजदूरी खाते मद्दे.....रु० (केवल.....रुपए) की राशि और अतिरिक्त महंगाई भत्ता खाते मद्दे.....रु० (केवल.....रुपए) की राशि जो नीचे उल्लिखित कर्मचारियों के निक्षेप खातों में विद्यमान अनिवार्य निक्षेपों की रकमें हैं/खातों में जमा की गई अनिवार्य निक्षेपों की रकमों की प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम और अन्तिम किश्त हैं, तथा.....रु० (केवल.....रुपए) और.....रु० (केवल.....रुपए) जो, नीचे लिखे ब्योरों के अनुसार, संबंधित निक्षेप खाते पर शोध्य ब्याज है, कर्मचारियों को प्रतिसंदाय के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है । वह राशि बैंक ड्राफ्ट / चैक द्वारा, जिस पर 'पाने वाले के खाते' शब्द अंकित हो, संदत्त की जाए ।

4. क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	खाता फोलियो सं०/खाता सं०	अतिरिक्त मजदूरी		अतिरिक्त महंगाई भत्ता		टिप्पणियां
			निक्षेप की रकम रु०	शोध्य ब्याज रु०	निक्षेप की रकम रु०	शोध्य ब्याज रु०	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		जोड़					

प्रमाणित किया जाता है कि :

(1) स्तम्भ (4) और (6) के अधीन दर्शित रकमें संबंधित कर्मचारियों के संबंधित खाता-लेखाओं में वस्तुतः निक्षिप्त कर दी गई हैं और वे मंजूर की गई / प्रतिसंदाय के लिए शोध्य रकमें हैं, और

(2) स्तम्भ (5) और (7) के अन्तर्गत दिखाई गई शोध्य ब्याज विहित रीति में जो समय-समय पर लागू दरों पर संगणित की गई है ।

स्थान : विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

मुद्रा :

*यदि लागू न होता हो तो काट दीजिए ।

@सेवा के पर्यवसान की तारीख और उसके कारण, जहां लागू होता हो, उपदर्शित करें ।

प्ररूप—11

(पैरा 10 देखिए)

कर्मचारियों के अतिरिक्त मजदूरी/अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मद् के प्रतिसंदायों की विशिष्टियां

1. निरन्तर क्रम सं० :
2. स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम :
3. कूट सं० :
4. संवितरणों की विशिष्टियां :

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त रकम			संवितरित की गई रकम			वापस किया गया अतिशेष		
चैक मांगदेय ड्राफ्ट की सं० और तारीख	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	संदाय की तारीख	मूलधन	ब्याज	चालान सं० और वापसी की तारीख
	रु०	रु०	रु०	रु०		रु०	रु०	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क. अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता								
ख. अतिरिक्त मंहगाई भत्ता निक्षेप खाता								

5. उन कर्मचारियों के नाम जिन्हें प्रतिसंदाय नहीं किए जा सके और उसके कारण ।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	प्ररूप 10 में की क्रम सं० [स्तम्भ (1)] और तारीख	कारण	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान :
तारीख :
मुद्रा :

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप–12

(पैरा 11 देखिए)

अन्तरित खाते की संक्षिप्त

भाग 'क'

अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु

1. क्रम संख्या :
2. स्थानीय प्राधिकारी का नाम :
3. कूट संख्या :
4. स्थानान्तरित कर्मचारी का नाम और पदनाम :
5. स्थानान्तरण की तारीख :
6. खाता फोलियो/खाता संख्या :
7. (स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम और उसकी कूट संख्या और पता): से स्थानान्तरित :
8. (स्थानीय प्राधिकारी के कार्यलय का नाम, उसकी कूट संख्या और पता) को स्थानान्तरित :
9. अन्तरित रकमों के ब्योरे :

रकम	किस तारीख तक निक्षेप किया गया है	खाते जमा की गई ब्याज	तारीख जिस तक स्तम्भ (3) में ब्याज जमा खाते की गई है	वे निक्षेप जो ब्याज अर्जित नहीं करता		
				किस मास की बाबत*	किस मास से@	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(क) अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप						
(ख) अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप						

तारीख :

मुद्रा : विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का हस्ताक्षर

*अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारियों) स्कीम 1974 के पैरा 8 का द्वितीय परन्तुक देखिए ।

@उक्त स्कीम के पैरा 8 का तृतीय परन्तुक देखिए ।

प्ररुप 12—जारी

भाग 'ख'

अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु

----------के विस्तृत खाता-लेखा, खाता फोलियों सख्या--------, ऊपर भाग 'क' में की संक्षिप्त सहित, की प्राप्ति स्वीकार की जाती है । कर्मचारी को कार्यालय में रखे गए खाते में कर्मचारी को फोलियो सं० / खाता सं०--------आबंटित की गई है और उसके खाते में अन्तरित रकमों की आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं ।

स्थान :

तारीख : विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुद्रा :

भाग 'ग'

अन्तरिती नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि अन्तरित रकमें अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाते /महंगाई भत्ता निक्षेप खाते में जमा कर दी गई है ।

(*और सम्बन्ध निक्षेप कार्यालय को सूचित कर दिया गया है)

स्थान :

तारीख : नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुद्रा :

भाग 'घ'

अन्तरक नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि अन्तरित रकम अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाते / महंगाई भत्ता निक्षेप खाते में नाम डाल दी गई हैं ।

(*और सम्बन्ध निक्षेप कार्यालय को सूचित कर दिया गया है)

स्थान :

तारीख : नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुद्रा :

*यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

प्ररूप 13

(पैरा 12 देखिए)

——————————को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता का लेखा विवरण

1. कर्मचारी का नाम :
2. खाता फोलियो / खाता संख्या :
3. स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम :

मद	अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता		अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अर्थ अतिशेष				
2. वर्ष के दौरान किए गए निक्षेप / अर्जित ब्याज				
3. वर्ष के दौरान किए गए प्रतिसंदाय / संदत्त ब्याज				
4 वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष				

स्थान

तारीख

मुद्रा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(प्रतिपर्ण)

खाता फोलियो / खाता संख्या

*म उपरोक्त खाता विवरण को सही स्वीकार करता हू ।

*मैं उपरोक्त खाता विवरण को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नही करता हू ।

स्थान कर्मचारी के हस्ताक्षर

तारीख

*जो लागू नहीं हो, उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 14
(पैरा 17 देखिए)

————————को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खाता-लेखा की वार्षिक संक्षिप्ति
स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम————————
कूट संख्या————————

	निक्षेप										ब्याज	
वर्णन	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रनीत	खातों के अन्तरण के कारण इसमें अन्तरित	काटी गई और प्रेषित रकमें	प्रतिसंदत्त रकमें	खातों के अन्तरण के कारण इससे अन्तरित	वर्ष के अन्त में कर्मचारियों के नाम जमा इतिशेष	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रनीत	खातों के अन्तरण के कारण इसमें अन्तरित	वर्ष के दौरान अर्जित	संदत्त	खातों के अन्तरण के कारण इससे अन्तरित	वर्ष की समाप्ति पर कर्मचारियों के खाते में जमा रकमें
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता												
अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता												

प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ (7) के अन्तर्गत निक्षेपों के अन्तशेष और स्तम्भ (13) के अन्तर्गत उन पर ब्याज खाता लेखा में कुल अतिशेष के समान हैं।

तारीख :

मुद्रा

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 15

(पैरा 13 देखिए)

कटौतियों का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 31 मार्च————————को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान श्री————————————के अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाते और अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाते में जमा रकम————————————रु० (केवल————————रुपए) है ।

स्थान (विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख

मुद्रा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम और पता

प्ररूप 16

(पैरा 15 देखिए)

सरकारी खजाने में विलम्बित कटौतियों/प्रेषणों पर ब्याज के निक्षेप के लिये चालान

चालान संख्या केन्द्रीय

भाग क—प्रेषक द्वारा भरे जाने हेतु

1. प्रेषक :—
(यहां विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के ब्योरे और उसकी कूट संख्या दर्ज करें)

2. प्रेषण का प्रयोजन : विलंबित कटौतियों/प्रेषणों पर ब्याज
3. वह विभाग जिस से प्रेषण संबंधित है । वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार
4. प्रेषण का प्राधिकार के अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारी) स्कीम 1974 का पैरा 15

5. संदत्त रकम : ———रु० (केवल————रुपए)
6. खाता शीर्ष 065—अन्य प्रशासनिक सेवाएं—ग ।
अन्य सेवाएं—अन्य प्राप्तियां ।

7. वे लेखा अधिकारी जिनके द्वारा समायोजना है :
(यदि केन्द्रीय व्यवहारों से संबद्ध, राज्य में महा लेखापाल का उल्लेख करें)

8. संदाय करने वाले का,—
(क) नाम :
(ख) हस्ताक्षर :

9. संदाय का स्थान
(यहां सरकारी खजाने/उप-खजाने का नाम दर्ज करें)

भाग ख—सरकारी खजाने/उप-खजाने द्वारा भरे जाने हेतु

———— रु० (केवल ————————रुपए) प्राप्त किए ।

(तारीख सहित) हस्ताक्षर :

कोषपाल लेखापाल खजाना अधिकारी

[एफ 2 (5) सं० ई०/74]

(ज० इनोसेंट) संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974